भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*41
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का नियोजन

*41. कुमारी शैलजाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि, विनिर्माण और सेवा के क्रमशः तीन क्षेत्रों में महिलाओं के नियोजन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा, हरियाणा सहित, क्या है;
(ख) क्या सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) हरियाणा के विशेष संदर्भ में महिलाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कितनी निधि आबंटित की जा रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

“विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का नियोजन” के संबंध में कुमारी शैलजा द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *41 के लिए दिनांक 05.02.2020 को दिए जाने वाले उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध राज्य-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या दर (डब्लूपीआर) अनुबंध पर दी गई है।

2017-18 के दौरान हरियाणा सहित व्यापक औद्योगिक डिवीजन द्वारा सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) पर महिला कामगारों का प्रतिशत विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र-वार महिला श्रमिकों का प्रतिशत विवरण		
क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
कृषि	**73.2**	**9.1**
विनिर्माण	**8.1**	**25.2**
अन्य सेवाओं सहित	**18.7**	**65.7**

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2017 – जून, 2018, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें बाल देख-भाल केंद्र, बच्चों को दूध पिलाने हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने खुले खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तथा सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य शामिल है जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बगैर किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगारों दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है और शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी के उच्चतम स्तर आदि जैसे कारकों को बढ़ावा भी दे रही है।

सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी), महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एमकेएसपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उप-योजनाएं, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में श्रम शक्ति भागीदारी सहित आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें की हैं।

*****

अनुबंध

विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का नियोजन के बारे में पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 05.02.2020 के तारांकित प्रश्न संख्या *41 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु समूह का सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में):

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	ग्रामीण+ शहरी		
		पुरूष	महिला	व्यक्ति
1	आंध्र प्रदेश	75.3	40.8	57.2
2	अरुणाचल प्रदेश	66.4	13.0	42.3
3	असम	74.7	11.0	43.7
4	बिहार	63.7	4.0	35.5
5	छत्तीसगढ़	76.6	47.6	62.4
6	दिल्ली	68.1	12.8	42.7
7	गोवा	64.4	22.9	42.9
8	गुजरात	74.0	19.0	47.4
9	हरियाणा	68.3	12.8	41.7
10	हिमाचल प्रदेश	71.0	47.5	58.9
11	जम्मू और कश्मीर	72.7	27.6	51.0
12	झारखंड	68.1	14.6	41.7
13	कर्नाटक	74.0	24.8	49.1
14	केरल	65.8	20.4	41.2
15	मध्य प्रदेश	75.9	31.0	54.3
16	महाराष्ट्र	71.4	29.1	50.5
17	मणिपुर	64.0	19.8	42.5
18	मेघालय	75.4	50.2	62.3
19	मिजोरम	67.1	26.0	46.4
20	नागालैंड	52.9	11.0	32.8
21	ओडिशा	72.9	18.3	44.9
22	पंजाब	69.8	13.7	42.9
23	राजस्थान	69.1	26.3	48.2
24	सिक्किम	74.0	41.6	58.7
25	तमिलनाडु	71.8	31.3	51.0
26	तेलंगाना	69.1	30.3	49.8
27	त्रिपुरा	70.5	11.1	42.0
28	उत्तराखंड	65.0	16.1	40.6
29	उत्तर प्रदेश	70.0	13.1	41.8
30	पश्चिम बंगाल	75.3	20.1	47.8
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	76.4	19.1	48.7
32	चंडीगढ़	74.0	20.0	46.9
33	दादरा और नगर हवेली	86.8	39.7	66.3
34	दमन और दीव	85.8	24.1	63.2
35	लक्षद्वीप	65.6	9.1	34.4
36	पुडुचेरी	64.4	13.4	37.8
	अखिल भारतीय	71.2	22.0	46.8

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई-जून, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।